ग्राम पंचायत बीड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बीड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बीड़ में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बीड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना।	3.07
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	14.30

3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.38
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे ।	0.03
5	8	रॉयल्टी की वसूल न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.07
6	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	1.78
7	10	टी0डी0एस0 की कटौती न करना ।	0.02
8	11	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय ।	3.34

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2018 से 31.03.2020

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	अनिर्णीत ।
2	4 व 4.1	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
3	5	अनिर्णीत ।
4	5.2	अनिर्णीत ।
5	6	अनिर्णीत ।
6	7	अनिर्णीत ।
7	8	अनिर्णीत ।
8	9	अनिर्णीत ।
9	10	अनिर्णीत ।

10	11	निर्णीत । (विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 800/– की राशि रसीद संख्या 162011 दिनांक 24.01.2024 को वसूल करके खाता संख्या 20070004151 में जमा करवा दी गई है जिसका इन्द्राज रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 85 पर दर्ज है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है ।
11	12(क)	अनिर्णीत ।
12	12(ख)	अनिर्णीत ।
13	12(ग)	अनिर्णीत ।
14	13	अनिर्णीत ।
15	14	अनिर्णीत ।
16	15	अनिर्णीत ।
17	16	अनिर्णीत ।
18	17	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बीड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.01.2024 से 06.01.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	03/2022	11/2021
2022–23	03/2023	09/2022

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत बीड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 08.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 022163 दिनांक 20.01.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत बीड़, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत बीड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	741126.32	263767.00	32215.00	1037108.32	347697.00	689411.32
2022–23	689411.32	212732.00	31193.00	933336.32	143909.00	789427.32

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत बीड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	930604.52	4272120.00	28195.00	5230919.52	3753051.41	1477868.11
2022–23	1477868.11	3421516.25	37054.00	4936438.36	3505742.00	1430696.36

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14th FC ,15th FC, SDRF,VMJS, SBM

A/c No. 2007004151	KCCB Bir	881698.72
A/c No. 50058181898	KCCB Bir	25307
A/c No. 50055905389	KCCB Bir	58105
A/c No.50055905378	KCCB Bir	11711
A/C No. 50055905390	KCCB Bir	194686
A/C No. 879001100056764	HGB Bir	1335220.3
A/c No. 87900100054522	HGB Bir	15451.36
A/c No. 50057306065	KCCB Bir	4935
cash in hand		0
	Total	**2527114.3**

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		789427.32
Cash Book Balance on 31.03.2022		-5831
Cash Book Balance on 31.03.2022		-2060
Cash Book Balance on 31.03.2022		94202
Cash Book Balance on 31.03.2022		15451.36
Cash Book Balance on 31.03.2022		1335220.3
Cash Book Balance on 31.03.2022		-20938
Cash Book Balance on 31.03.2022		76834.75
Cash Book Balance on 31.03.2022		243680
Cash Book Balance on 31.03.2022		-305863
	Total	**2220123.7**
	diffrence	**306990.7**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹3.07 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹3,06,990.70 पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 08.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 08.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया

कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में **₹** 7,41,126/– से **₹**7,89,427/– की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 08.01.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत निधि खाता में पड़ी बचत राशि को भविष्य में सावधि में निवेश किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹14.30 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹14,30,696/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग

की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में ₹100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष व 2022–23 में ₹200/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था। दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹38,200/– (सम्पति कर ₹13600/– व दुकान किराया ₹24600/–) वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	20200	37500	57700	47400	10300
2022–23	10300	76000	86300	7700	13600

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 08.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹13,600/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 दुकान किराये से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने बारे :–

अंकेक्षण में पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आय बढ़ाने हेतु दुकानें किराये पर दी थी परन्तु पंचायत द्वारा नियमानुसार दुकान के किराये से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं

दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** पर उपलब्ध करवाई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2023 को दुकान किराये के रूप में ₹24600/– की राशि शेष थी तथा दुकान किराये के अनुबन्ध पत्र तैयार नही किये गये थे जबकि अनुबन्ध पत्र बनाये जाने अपेक्षित थे । अतः पंचायत हितों की सुरक्षा हेतु अनुबन्ध पत्र तैयार करके नियमानुसार किराये की बढ़ौत्तरी हेतु शर्त को भी लगाया जाना सुनिश्चित करें ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 08.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि दुकान किराये के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे व अनुबन्ध पत्र तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**दुकान किराये की माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021–22	23400	60000	83400	83400	0
2022–23	0	54000	54000	29400	24600

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत बीड़ द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्रम संख्या	वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2021–22	2000
2	2022–23	1600

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18 दिनांक 08.01.2024 के अन्तर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क को पंचायत निधि से निकाल कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

7.4 पंचायत राजस्व के रूप में वसूल की गई राशि को बैंक मे जमा न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि रसीद संख्या 456782 दिनांक 21.07.22 को ₹900/– व रसीद संख्या 456820 दिनांक 16.03.2023 को ₹500/– पंचायत राजस्व के रूप में राशि वसूल की गई परन्तु इस राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया। हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के अनुसार सभी प्राप्त राशियों को निर्धारित खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित है जिसकी उल्ल्घंना एक गम्भीर अनियमितता है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 08.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ

में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत राजस्व के रूप में वसूली गई राशि को बैंक में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.07 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹6,927.50 का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 08.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹6,927.50 के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि० टन)	राशि (₹)
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	600	16.99	1.62	27.52	60	1651.00
	बजरी	1050	29.73	1.52	45.18	60	2711.00
						कुल :	4362.00
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	200	5.66	1.62	9.16	80	733.00
	बजरी	130	3.68	1.52	5.59	80	447.00
						कुल :	1180.00
				कुल 2021–22 व 2022–23			5542.00
					पैनल्टी 25 %		1385.50
					कुल योग:		6927.50

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.78 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,77,505/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 08.01.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
11, 20.05.22	बिल नं0 178 दि0 08.04.22, कमल किशोर	जाला चैनल	36000.00	नि0 जाला नजदीक मेला ग्रांउड SF
19, 10.06.22	बिल नं0 179 दि0 20.04.22, कमल किशोर	जाला चैनल	18000.00	नि0 जाला नजदीक मेला ग्रांउड SF
21, 27.06.22	बिल नं0 587 दि0 18.06.22 कुलदीप फर्नीचर हाउस	दरवाजे, खिडकियॉ	45500.00	नि0 सामुदायिक भवन कमरा VMJS
22, 27.06.22	बिल नं0 588 दि0 18.06.22 कुलदीप फर्नीचर हाउस	दरवाजे, खिडकियॉ	28508.00	नि0 सामुदायिक भवन कमरा VMJS
29, 27.06.22	बिल नं0 1867 दि0 24.06.22, पाल हार्डवेयर	सैनिटरी फिटिंग	14187.00	नि0 शौचालय GSSS Bir PS
59, 21.10.22	बिल नं0 716 दि0 शून्य कुलदीप फर्नीचर हाउस	दरवाजे, खिडकियॉ	34310.00	नि0 सामुदायिक भवन कमरा VMJS
			176505.00	

10. आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 C के अनुसार की TDS कटौती न करने बारे :–

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹ 100000/– या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹ 30000/– से अधिक की अदायगी की जाती है तो आहरण व संवितरण अधिकारी ठेकेदार के बिल से आय स्त्रोत पर व्यक्ति की दशा में 1 प्रतिशत व फर्म की दशा में 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी खाते में समयबद्ध तिथि को जमा करवायेगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹2,10,000/– की राशि का भुगतान जे0सी0बी0 कार्य हेतु किया गया था । अतः 1 प्रतिशत की दर से ₹2,100.00 बिल से स्त्रोत पर आयकर को न काटने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14

दिनांक 08.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 सी के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती करके जमा करवा दी जायेगी ।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	कार्य का नाम
14, 02.11.21	बिल नं0 355 दि0 शून्य, सुरेश कुमार	जेसीबी कार्य	45000.00	नि0 पंचवटी बाटिका 14th FC
15, 29.12.21	बिल नं0 366 दि0 24.12.21, सुरेश कुमार	जेसीबी कार्य	35000.00	नि0 पंचवटी बाटिका 14th FC
15, 29.12.21	बिल नं0 367 दि0 शून्य, सुरेश कुमार	जेसीबी कार्य	32000.00	नि0 पंचवटी बाटिका 14th FC
01, 21.03.22	बिल नं0 386 दि0 01.03.22, सुरेश कुमार	जेसीबी कार्य	30000.00	नि0 मेला ग्रांउड बीड 15th FC
02, 21.03.22	बिल नं0 385 दि0 01.03.22, सुरेश कुमार	जेसीबी कार्य	35000.00	नि0 मेला ग्रांउड बीड 15th FC
03, 22.03.22	बिल नं0 387 दि0 04.03.22, सुरेश कुमार	जेसीबी कार्य	33000.00	नि0 मेला ग्रांउड बीड 15th FC

अतः नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

11. प्राप्त अनुदान राशि से ₹3.34 लाख का अधिक व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022-23 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अनुदान राशियाँ प्राप्त हुई थी परन्तु पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार पंचायत द्वारा विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान राशि से ₹3,34,692/- अधिक राशि खर्च की गई थी, जोकि अनियमित है।

शीर्ष का नाम	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
PS	60000	70000	135831	5831
5th State	50300	247740	300100	2060
SBM	–20938	0	0	20938
VMJS	–149592	635710	791981	305863
			Total	**334692**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16 दिनांक 08.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/बी/24/03 दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि व्यय पंचायत निधि से किया गया है जोकि शीघ्र प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30

3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14. मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. **निष्कर्ष :–**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

30 MAR 2024

1757 – 1761

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)284/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बीड़ विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bir" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	0	60000	0	60000	0	60000
2	5 SFC	80000	181140	0	261140	210840	50300
3	VKVNY	85622	70000	0	155622	22334	133288
4	14TH FC	463769.52	0	8490	472259.52	457230.16	15029.36
5	15TH FC	294225	1007398	19705	1321328	163733.75	1157594.3
6	SBM	0	200000	0	200000	220938	-20938
7	SDRF	6988	298395	0	305383	316876.5	-11493.5
8	MBP	0	300000	0	300000	56320	243680
9	VMJS	0	729000	0	729000	878592	-149592
10	MNREGA	0	1426187	0	1426187	1426187	0
	Total Rs.	930604.52	4272120	28195	5230919.52	3753051.41	1477868.1

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bir" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	60000	70000	0	130000	135831	-5831
2	5 SFC	50300	247740	0	298040	300100	-2060
3	VKVNY	133288	148000	0	281288	187086	94202
4	14TH FC	15029.36	0	422	15451.36	0	15451.36
5	15TH FC	1157594.25	812526	36632	2006752.25	671532	1335220.3
6	SBM	-20938	0	0	-20938	0	-20938
7	SDRF	-11493.5	282007.25	0	270513.75	193679	76834.75
8	MBP	243680	0	0	243680	0	243680
9	VMJS	-149592	635710	0	486118	791981	-305863
10	MNREGA	0	1225533	0	1225533	1225533	0
	Total Rs.	1477868.11	3421516.25	37054	4936438.36	3505742	1430696.4

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,VMJS, SBM

A/c No. 2007004151	KCCB Bir	881698.72
A/c No. 50058181898	KCCB Bir	25307
A/c No. 50055905389	KCCB Bir	58105
A/c No.50055905378	KCCB Bir	11711
A/C No. 50055905390	KCCB Bir	194686
A/C No. 879001100056764	HGB Bir	1335220.3
A/c No. 87900100054522	HGB Bir	15451.36
A/c No. 50057306065	KCCB Bir	4935
cash in hand		0
	Total	2527114.3

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		789427.32
Cash Book Balance on 31.03.2022		-5831
Cash Book Balance on 31.03.2022		-2060
Cash Book Balance on 31.03.2022		94202
Cash Book Balance on 31.03.2022		15451.36
Cash Book Balance on 31.03.2022		1335220.3
Cash Book Balance on 31.03.2022		-20938
Cash Book Balance on 31.03.2022		76834.75
Cash Book Balance on 31.03.2022		243680
Cash Book Balance on 31.03.2022		-305863
	Total	2220123.7
	diffrence	-306990.7

Panchayat Sec.
G.P Beed
Teh. Baijnath (Kangra) H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Bir

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	741126.32	263767	32215	1037108.32	347697	689411.32
2022-23	689411.32	212732	31193	933336.32	143909	789427.32

Checked

Bir (Kangra) H.P.

परिशिष्ट-2
(अतिरिक्त प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

GRAM PANCHAYAT BEED DEV. BLOCK BAIJNATH

SR. NO.	NAME OF WORK	HEAD	VENDOR NAME	VOUCHER NO AND DATE	BILL NO. AND DATE	SAND (CFT)	BAJRI (CFT)	BOULDER (CFT)	BRICKS	AMOUNT
				FINANCIAL YEAR 2021-22						
1	C/O SADAK GIAN CHAND HOUSE TO RAVI KUMAR LAND TOWARDS	MGnrega	Suresh Kumar	353, 17/11/2021	353,11-08-2021	-	1000	-	-	46000
2	C/O SADAK GIAN CHAND HOUSE TO RAVI KUMAR LAND TOWARDS	MGnrega	Suresh Kumar	349,17/11/2021	349,11-08-2021	100	150	-	-	12200
3	C/O SADAK GIAN CHAND HOUSE TO RAVI KUMAR LAND TOWARDS	MGnrega	Suresh Kumar	352,17/11/2021	352,11/08/2021	500	-	-		26500
					Total	600	1050	-	-	
	FINANCIAL YEAR 2022-23									
	C/O TOILET GSSS BIR	PANCHAYT								
	ADDITONALITY TO COMMUNITY ROOMS	VKVNY	SURESH KUMAR	52 15/09/2022	384 24/08/2022	200	130	-		
					Total	200	130			

Panchayat Sec.
G.P Beed
Teh. Baijnath (Kangra) H.I

(21)

-1- परिशिष्ट "3" पैरा - 7(1), 7(2)

List of outstanding Property tax for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o GP Bir **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-22	20200	37500	57700	47400	10300
2022-23	10300	76000	86300	72700	13600

List of outstanding Shop rent for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-22	23400	60000	83400	83400	0
2022-23	0	54000	54000	29400	24600

5nos shop @100 per month

9 no Shop @500 Per month (1 no Shop Blank in year 2022-23)

List of outstanding Room on rent for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-22	0	12000	12000	12000	0
2022-23	0	12000	12000	12000	0

Sandeep Kaur
Panchayat Sec.
G.P Bir
Teh. Baijnath (Kangra) H.P